तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/11/20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. सरकारी पैरोकार उप. अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया बहस पेशकार सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया निर्णय पालना हेतु तहसीलदार बौंली को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो
	(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, बौंली

Scanned with CamScanner

3. मुनाराम पुत्र श्री किशनाराम
जातियान मेघवाल, निवासी–बड़ला बासनी
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांकः–2/11/2020

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 21 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा, मौजा ग्राम बड़ला बासनी, तहसील तिंवरी में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा हमारे नाम दर्ज करते वक्त हमारे नाम के साथ रामुराम पुत्र किशनाराम दर्ज कर दिया जबकि हमारे रामुराम नाम का कोई भाई नहीं है न ही था। श्री किशनाराम के हम प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई पुत्र नहीं है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम के साथ रामुराम पुत्र किशनाराम दर्ज है जिस कारण प्रार्थीगण को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जबकि रामुराम नाम का प्रार्थीगण के कोई भाई नहीं ळै। इसलिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम रामुराम पुत्र किशनाराम हटवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 28 बीघा 05 बिवा मौजा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम के साथ दर्ज रामुराम पुत्र किशनाराम हटाया जाकर रेकर्ड

सहायक कलक्टर, शेरगढ़

Scanned with CamScanner

दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रामूराम पि. किशनाराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बीजाराम, तेजाराम, मुनाराम पि. किशनाराम तीन भाई है तीजो पत्नी किशनाराम इनकी माता है। अन्य खसरा नम्बर 155/26, 28 व 33 में भी बीजाराम, तेजाराम मुनाराम पि. किशनाराम, तीजो पत्नी किशनाराम दर्ज है।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के नाम के साथ दर्ज रामुराम पुत्र किशनाराम हटाया जाना उचित है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा मौजा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के साथ दर्ज नाम रामुराम पि. किशनाराम को हटाया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 2/11/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner